प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित किया गया : 24-04-2025

निर्णय पारित किया गया:17-07-2025

प्रथम अपील सं 262/2018

1 – पदम जैन पिता श्री ज्ञानमल जैन,31 वर्ष , निवासी ग्वालियर, दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

2 – रोशन जैन पिता श्री सोहनराज जैन, 36 वर्ष, निवासी गंजपारा, दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता/वादी

बनाम

1 – हेमराय (मृत) विधिक उत्तराधिकारियों के द्वारा – माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 17-11-2021 और 27-04-2022 के अनुसार

1.1 – श्रीमती झन्ना बाई पति स्वर्गीय श्री हेमराय, आयु लगभग 55 वर्ष

1.2 – सोम बाई, पुत्री हेमराय, आयु लगभग 32 वर्ष

1.3 – रामेश्वरी पिता हेमराय, उम्र लगभग 30 वर्ष

1.4 – हेमलता पिता हेमराय, उम्र लगभग 28 वर्ष

1.5 – अश्विनी पिता हेमराय, उम्र लगभग 26 वर्ष

1.6 – महेंद्र पिता हेमराय, उम्र लगभग 24 वर्ष सभी निवासी पुलगांव, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

2 – पुखराज पिता स्वर्गीय गजधर साहू , 45 वर्ष

3 खेमराज पिता स्वर्गीय गजधर साहू, 39 वर्ष

उत्तरवादी सं 2 तथा 3 गाँव-पुलगाँव, दुर्ग, तहसील तथा जिला दुर्ग के निवासी हैं।

4 – श्रीमती. कुंती बाई (मृत्यु) विधिक प्रतिनिधि के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 06.08.2024 के अनुसार

4(क)-सोमनाथ पितास्वर्गीय गजधर साहू तथा श्रीमती. कुंती बाई, 52 वर्ष गाँव-सेलुद, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (सी. जी.)

4(ख)-कांति पिताश्रीमती. कुंती बाई , 50 वर्ष, निवासी दुर्ग, जिला-दुर्ग (सी. जी.)

4(ग)-प्यारेलाल पितास्वर्गीय गजधर साहू तथा श्रीमती कुंती बाई, 48 वर्ष ,गाँव-सेलुद, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (सी. जी.)

4(घ)-किरण पिताश्रीमती कुंती बाई, आयु लगभग 46 वर्ष,निवासी :गाँव-सूरदग, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (सी. जी.)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5 – श्रीमती. हेमिन बाई पिता स्वर्गीय गजधर साहू , ग्राम बोरसी, तहसील तथा जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़,

6 – छत्तीसगढ़ राज्य ,कलेक्टर दुर्ग के द्वारा

----उत्तरवादीगण

याचिकाकर्तागण हेतु		श्री बी. पी. शर्मा, श्री एम. एल. साकेत तथा श्री के. एन. सिंह, अधिवक्तागण
उत्तरवादी संख्या 1 से 3 हेतु		श्री अभिषेक वैष्णव, अधिवक्ता।
उत्तरवादी/राज्य हेतु :		श्री देवेश जी. केला, पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्रीमती रजनी दुबे,न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री सचिन सिंह राजपूत, न्यायाधीश

सी. ए. वी. निर्णय

रजनी दुबे न्यायाधीश के अनुसार,

01. इस अपील में चुनौती सिविल वाद संख्या 62-ए/2015 में पारित दिनांक 2 फरवरी, 2018 के निर्णय और डिक्री की वैधानिकता तथा वैधता को लेकर है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं/वादी द्वारा संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु दायर वाद को खारिज कर दिया गया था।सुविधा के लिए, पक्षों को इसके बाद उनके विवरण के अनुसार विचारण न्यायालय के समक्ष भेजा जाएगा।

02. संक्षेप में कहा जाए तो, वादी का प्रकरण यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के संयुक्त स्वामित्व में ग्राम-पुलगांव, पीएचएन 18/25, खसरा संख्या 193/1, क्षेत्रफल 1.676 हेक्टेयर भूमि स्थित है।प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 ने अपनी बहनों प्रतिवादी क्रमांक 4 और 5 की ओर से वादीगण के साथ दिनांक 30.9.2014 को 38 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से उपरोक्त भूमि की विक्रय के लिए एक करार किया और अग्रिम के रूप में 2 लाख रुपए नकद और सिंडिकेट बैंक, शाखा-दुर्ग का 3 लाख रुपए का एक उत्तर-दिनांकित चेक प्राप्त किया गया। करार के निष्पादन की तिथि पर, पक्षों के बीच यह सहमति हुई कि 20 लाख रुपए 10.11.2014 तक भुगतान किए जाएंगे और करार के निष्पादन की तिथि अर्थात 30.9.2014 से छह महीने के भीतर बिक्री प्रतिफल की शेष राशि प्राप्त होने के बाद, वादीगण के नाम से या वादीगण के कहने पर किसी अन्य व्यक्ति के

नाम से पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित किया जाएगा।बाद में, उन पोस्ट-डेटेड चेकों को वापस लेने के बाद, प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 को क्रमशः 1.60 लाख और 1.40 लाख रुपये नकद दिए गए। करार के अनुसार, 10.11.2014 तक 20 लाख रुपये का भुगतान किया जाना था और इसलिए जब 3.11.2014 को प्रतिवादी क्रमांक 3 ने वादीगण से उक्त 20 लाख रुपये की राशि में से 5 लाख रुपये नकद मांगे, तो वादीगण ने सिंडिकेट बैंक, दुर्ग का 5 लाख रुपये का चेक क्रमांक 249516 RTGS कर दिया। वादीगण ने दुर्ग स्थित सिंडिकेट बैंक में 20 लाख रुपये जमा किए और प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 को मौखिक रूप से सूचित किया, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि चूंकि अभी उन्हें पैसे की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जब भी आवश्यकता होगी, वे उन्हें सूचित करेंगे।वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 से 3 तक से 15 लाख रुपए लेने का अनुरोध किया, लेकिन वे सहमत नहीं हुए, जिस पर वादीगण द्वारा 27.11.2014 को 5-5 लाख रुपए के तीन चेकों के साथ एक पंजीकृत नोटिस भेजा गया और 28.11.2014 को उक्त नोटिस प्राप्त होने के बाद, प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने अपनी बहनों प्रतिवादी सं. 4 और 5 की ओर से 6.12.2014 को एक अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा, जिसका वादीगण द्वारा उत्तर दिया गया।प्रतिवादीगण वादीगण के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने से इनकार कर रहे हैं, जबकि वे हमेशा से संविदात्मक दायित्वों के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक रहे हैं।इसलिए यह वाद प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

03. उत्तरवादी संख्या 1 से 3 ने अपने लिखित बयान में तर्क दिया कि वाद की संपत्ति उत्तरवादी संख्या 1 से 5 की संयुक्त हिंदू संपत्ति है और इस प्रकार, वाद की संपत्ति पर उनका समान अधिकार और हिस्सा है। हालांकि, जिस करार के आधार पर वर्तमान वाद दायर किया गया है, वह अधूरा, अवैध और शून्य है क्योंकि यह सभी प्रतिवादियों के हस्ताक्षर नहीं करता है और प्रतिवादियों द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 4 और 5 की कोई लिखित या मौखिक सहमति नहीं है।वादी ने अपनी अशिक्षा और अज्ञानता का लाभ उठाकर करार के पहले और अंतिम पृष्ठ पर प्रतिवादियों सं 1 से 3 के हस्ताक्षर प्राप्त किए।प्रतिवादी क्रमांक 3 ने वादीगण से कभी भी 5 लाख रुपए की मांग नहीं की और वास्तव में, यह वादी क्रमांक 1 ही था जिसने अपनी इच्छा से प्रतिवादी क्रमांक 3 को सूचित किए बिना जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, दुर्ग में 5 लाख रुपए जमा किए, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1, 2, 4 और 5 ने वादीगण को इसके लिए कोई मौखिक या लिखित सहमति नहीं दी थी।प्रतिवादियों द्वारा वादीगण के पक्ष में ऐसा कोई करार कभी नहीं किया गया था। आक्षेपित भूमि हड़पने के लिए, वादीगण ने जालसाजी की और यह करार तैयार किया है। यह विशेष रूप से कहा गया कि प्रतिवादियों ने वादीगण की भूमि को 1.50 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की दर से बेचने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन वादीगण ने जालसाजी करके इसे 38 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से बेचा।चूँकि उक्त करार पर प्रतिवादी संख्या 4 और 5 तथा उनकी माता सुमोतिन बाई (मृत) के हस्ताक्षर नहीं हैं, इसलिए यह प्रारम्भ से ही शून्य है।अतः, वाद को लागत सहित खारिज किया जाना चाहिए और प्रत्येक प्रतिवादी को 5 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति दिया जाना चाहिए।

04. प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने अपने लिखित बयान में कहा कि सभी प्रतिवादियों के हस्ताक्षरों के अभाव में करार अधूरा, अवैध और शून्य है।इस पर वादी पदम जैन के हस्ताक्षर भी नहीं हैं।प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को वाद भूमि की विक्रय या इस प्रयोजन हेतु किसी करार के निष्पादन के लिए कभी सहमति नहीं दी।वाद भूमि की स्वामी सुमोतिन बाई की मृत्यु 27.1.2014 को हो गई, जबकि उक्त समझौता 30.9.2014 को निष्पादित किया गया था, जो पूर्णतः अवैध है क्योंकि उक्त करार में मृतक सुमोतिन बाई का नाम भी अंकित है।इन सभी कारणों से प्रतिवादी संख्या 4 और 5 को 50,000/- रुपये के क्षतिपूर्ति के साथ यह वाद खारिज किए जाने योग्य है।

05. संबंधित पक्षों की तर्क के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने सात मुद्दे तय किए और अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, विवादित निर्णय और डिक्री द्वारा वाद को खारिज कर दिया।अतः यह अपील प्रस्तुत किया गया है।

06. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित निर्णय विकृत है और विधि में मान्य योग्य नहीं है।विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि वाद संपत्ति के संबंध में विक्रय का करार विधि के अनुसार साबित हो चुका है और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा इसके उचित निष्पादन के निष्कर्ष पर पहुंचने और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा स्वयं के लिए और प्रतिवादी संख्या 4 और 5 की ओर से बयाना राशि स्वीकार करने के बाद, इसे पूरी तरह से शून्य घोषित करना दर्शाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने विधि और अधिकार क्षेत्र की गंभीर त्रुटि की है और इस न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के ऐसे अवैध प्रयोग को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इसके बाद वह प्रस्तुत करते है कि जिन मामलों में समता से संबंधित कानून लागू होता है, उनमें न केवल वादी का आचरण सुसंगत है, बल्कि प्रतिवादियों का आचरण भी सुसंगत है।इस मामले में, प्रतिवादियों का आचरण दोषपूर्ण है और ऐसे दोषपूर्ण आचरण के बाद भी, वादी को अयोग्य ठहराना न्याय का उपहास है।विद्वान विचारण न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने में विफल रहा है।अतः, आक्षेपित निर्णय और डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है और फलस्वरूप, वादीगण के वाद को पूर्णतः स्वीकार किया जाए।वैकल्पिक रूप से, उन्होंने प्रस्तुत किया कि विशिष्ट निष्पादन के तर्क को अस्वीकार करने की स्थिति में, अपीलकर्ता प्रतिवादियों को बयाना राशि के रूप में भुगतान की गई राशि को ब्याज सहित वापस पाने के हकदार हैं।निम्नलिखित मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया है:

चाँद रानी (श्रीमती) (मृत) बनाम कमल रानी (श्रीमती) मृत, (1993) 1 एससीसी 519; आलोक बोस बनाम परमात्मा देवी एवं अन्य, (2009) 2 एससीसी 582; सिस्कॉन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रिमेला सैनिटरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य, (2016) 10 एससीसी 353; महाराज सिंह एवं अन्य बनाम करण सिंह (मृत) वाया एलआर एवं अन्य, (2024) 8 एससीसी 83; आर. कंडासामी (अब मृत) एवं अन्य

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बनाम टीआरके सरस्वती एवं अन्य; (2025) 3 एससीसी 513; और विजय प्रभु बनाम एसटी लाजपति एवं अन्य, 2025 आईएनएससी 52।

07. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय और डिक्री का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की बारीकी से सराहना की और वादी के मुकदमे को सही ढंग से खारिज कर दिया।विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 12 वहां लागू नहीं होती जहां संविदा के किसी भाग पर विनिर्दिष्ट निष्पादन करने में असमर्थता वादी के स्वयं के आचरण के कारण उत्पन्न होती है।**विनोद कुमार अरोड़ा बनाम श्रीमती सुरजीत कौर, एआईआर 1987 एससी 2179; करतार सिंह बनाम हरजिंदर सिंह और अन्य, एआईआर 1990 एससी 854; बसंतीलाल बनाम रामेश्वर प्रसाद और अन्य, 1993 0 आईएलआर (एमपी) 584; बी. लीलावती बनाम होन्नम्मा और अन्य, 2005 एसएआर (सिविल) 622 सर्वोच्च न्यायालय भारत राम साहू बनाम सालिक तथा अन्य, 2006 (2) सी. जी. एल. जे. 352; विसेशर यादव बनाम गोविंद स्वामी, 2006 (2) सी. जी. एल. जे. 255; ए. के. लक्ष्मीपति (डी) तथा अन्य बनाम राय साहेब पन्नाला एच. लाहोटी चैरिटेबल ट्रस्ट तथा अन्य, 2010 एस. ए. आर. (सिविल) 8 सर्वोच्च न्यायालय; नागेश्वर प्रसाद सिंह बनाम दुर्गा देवी तथा दूसरा, 2010 (1) सी. जी. एल. जे. 355; हल्धर पटेल तथा अन्य बनाम पी. एस. ठाकुर तथा दूसरा, 2012 (3) सी. जी. एल. जे. 495; वत्सला माणिकवासागम तथा अन्य बनाम एन. गणेशन तथा एक अन्य, (2013) 9 एस. सी. सी. 152; राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम बजरंग लाल, 2014 (3) एम. पी. एल. जे. 506; ओमप्रकाश बनाम लक्ष्मीनारायण तथा अन्य, 2014 (3) एम. पी. एल. जे. 16; प्रेममदा प्रभाकर तथा अन्य बनाम यंगमेन वैश्य एसोसिएशन तथा अन्य, 2014 एस. ए. आर. (सिविल) 999 सुप्रीम कोर्ट; सिस्कॉन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। लि. बनाम मेसर्स प्राइमेला सैनिटरी प्रोडक्ट्स प्रा. लि. लिमिटेड तथा अन्य; 2017 एसएआर (सिविल) 10 सुप्रीम कोर्ट; लक्ष्मी श्रीनिवास को-ऑपरेटिव बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड। बनाम एल. आर. द्वारा पुव्वाडा रामा राव (मृत)। तथा अन्य; 2018 एस. ए. आर. (सिविल Supp.II) 272 उच्चतम न्यायालय; श्याम नारायण प्रसाद बनाम कृष्ण प्रसाद तथा अन्य, 2019 (2) एम. पी. एल. जे. 307; रवि सेतिया बनाम मदन लाल तथा अन्य, 2020 एस. ए. आर. (सी. आई. वी.) 23 सर्वोच्च न्यायालय; यू. एन. कृष्णमूर्ति (मृतक के बाद से) थ. एल. आर. बनाम ए. एम. कृष्णमूर्ति, 2022 0 सुप्रीम (एससी) 565; देश राज तथा अन्य बनाम रोहताश सिंह, 2022 0 सुप्रीम (एससी) 1244; आर. कंदासामी (मृत होने के बाद से) तथा अन्य बनाम टी. आर. के. सरस्वती तथा एक अन्य; 2024 8 सुप्रीम 684; महाराज सिंह तथा अन्य बनामकरण सिंह (मृत) एल. आर. तथा अन्य; 2024 5 सुप्रीम 481; तथा विजय प्रभु बनाम एसटी लाजपति तथा अन्य, 2025 आई. एन. एस. सी. 52** के मामलों में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया जाता है।

08. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

09. विद्वान विचारण न्यायालय ने संबंधित पक्षों के तर्क के आधार पर सात विवाद्यक निर्धारित किया गया है। महत्वपूर्ण विवाद्यक, विवाद्यक संख्या 1, 2 और 3, निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किए गए हैं: ---

कमांक	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या प्रतिवादी क्रमांक-1 से 3 द्वारा प्रतिवादी कमांक 4 व 5 की सहमति से वाद भूमि खसरा नं. 193/1. रकबा 1.676 हेक्टेयर ग्राम फुलगांव, प.ह.नं. 18/25, तहसील व जिला दुर्ग के विकय हेतु वादीगण के पक्ष में दिनांक 30-09-014 को इकरारनामा निष्पादित किया गया ?	"इकरारनामा प्रदर्श पी-1 प्रतिवादी कमांक-1 से 3 के मध्य निष्पादित किया गया. जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 4 व 5 की सहमति नहीं थी
2	क्या वादीगण, इकरारनामा दिनांक 30-09-2014 के पालन हेतु सदैव तैयार व तत्पर रहे हैं ?	"नहीं"
3	क्या वादीगण के पक्ष में निष्पादित इकरारनामा दिनांक 30-09-2014 अवैध व शून्य है ?	"प्रतिवादी कमांक 4 व 5 और सुमोतिन बाई के परिप्रेक्ष्य में शून्य होना पाया जाता है"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोनों पक्षों ने अपने मामले के समर्थन में विभिन्न दस्तावेज़ प्रस्तुत किए।एक्स पी/ -1, दिनांक 30.9.2014 का करार है और इस करार के अनुसार, यह स्पष्ट है कि यह प्रतिवादियों - हेमराज, पुखराज, खेमराज, कुंती बाई, हेमिन बाई, सुमोतिन बाई और वादी - पदम जैन और रोशन जैन के बीच निष्पादित हुआ था।इस करार से यह भी स्पष्ट है कि केवल तीन प्रतिवादियों, हेमराज, पुखराज और खेमराज ने इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए थे और इस पर अन्य प्रतिवादियों के हस्ताक्षर नहीं हैं।

10. अभियोगी-1 पदम जैन (वादी क्रमांक 1) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के कंडिका 10 और 11 में यह भी स्वीकार किया है कि जब एक्स.पी/1 का करार हुआ था, उस समय प्रतिवादी क्रमांक 4 और 5, अर्थात् कुंती बाई और हेमिन बाई, वहाँ उपस्थित नहीं थे।वह स्वीकार करता है कि इस मामले में उसने प्रतिवादी क्रमांक 4 और 5 द्वारा अपने भाइयों, प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 और 3 के पक्ष में भूमि की विक्रय के लिए निष्पादित कोई प्राधिकरण पत्र/मुख्तारनामा दाखिल नहीं किया है।वह कहता है कि यह सच है कि प्रतिवादी क्रमांक 4 और 5 को अग्रिम राशि के भुगतान या उसकी रसीद के संबंध में कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया है।वह स्वेच्छा से यह दावा करता है कि उनके भाइयों ने धन प्राप्त किया था।वह स्वीकार करता है कि वाद भूमि के राजस्व दस्तावेज़ बी-1 (एक्स.पी/2) में प्रतिवादी क्रमांक 4 और 5 तथा उनकी माँ सुमोतिन बाई के नाम भी दर्ज हैं।

उन्होंने स्वीकार किया कि दस्तावेज के अनुसार, पूर्व पी/1 के लिखित करार के समय प्रतिवादी संख्या 4 और 5 की मां सुमोतिन बाई जीवित थीं।कंडिका 25 में ,वह स्वीकार करता है कि करार के एक्स.पी/1 के अनुसार, 5 लाख रुपये की अग्रिम राशि के अलावा, 20 लाख रुपये यानी कुल 25 लाख रुपये 10.11.2014 तक चुकाए जाने थे और 10.11.2014 तक प्रतिवादियों को 25 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया गया था।

11. करार एक्स.पी/1 कुछ नियमों और शर्तों पर निष्पादित किया गया था।करार की शर्त संख्या 2 इस प्रकार है:---

"2. यह कि पक्षकार क्रमांक 1 अपनी उपरोक्त सम्पत्ति क्रेता को 38,00,000/-(अक्षरी-अड़तीस लाख रुपये मात्र) प्रति एकड़ की दर से बिक्री करने का सौदा तय कर लिया है, जिसके तहत् विक्रेता ने पक्षकार क्र.-2 (क्रेता) से बतौर व्याना राशि रुपये 2,00,000/- (दो लाख रूपये) नगद एवं 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) चेक क्र. 249513 दिनांक 05.10.2014 सिंडीकेट बैंक का प्राप्त कर लिया है। क्रेता द्वारा दि. 10.11.2014 तक 20,00,000/- (अक्षरी-बीस लाख रुपये) विक्रेता को और प्रदान किया जावेगा। बाकी की रकम पक्षकार क्रमांक-2 द्वारा रजिस्ट्री के समय प्रदान कर दी जावेगी। रजिस्ट्री की समया सीमा छः माह तक निर्धारित की गई है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस प्रकार, वादी पदम जैन (पीडब्लू-1) की स्वीकारोक्ति और समझौते की शर्तों (एक्स.पी/1) से यह स्पष्ट है कि करार के निष्पादन के समय, वादग्रस्त संपत्ति के सभी मालिक उपस्थित नहीं थे, केवल प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उपस्थित थे और उन्होंने करार पर हस्ताक्षर किए थे। प्रतिवादी संख्या 4 और 5 करार के निष्पादन के समय उपस्थित नहीं थे और इसलिए, उन्होंने करार पर हस्ताक्षर नहीं किए।वादी ने प्रतिवादियों के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि उसने मुकदमे की भूमि की विक्रय हेतु प्रतिवादी संख्या 4 और 5 द्वारा अपने भाइयों प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में निष्पादित कोई पावर ऑफ अटॉर्नी या प्राधिकरण पत्र दाखिल नहीं किया था।वादीगण ने प्रतिवादी सं. 4 और 5 को अग्रिम राशि के भुगतान के संबंध में कोई पावती भी दाखिल नहीं की है। विद्वान विचारण न्यायालय ने सभी साक्षीयों के बयानों की बारीकी से सराहना की और सही पाया कि वादीगण इस तथ्य को साबित करने में विफल रहे हैं कि वादीगण और सभी प्रतिवादियों के बीच 30.9.2014 को करार (एक्स.पी/1) निष्पादित किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रतिवादी सं. 4 और 5 द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से 3 को इस करार के निष्पादन के लिए कोई सहमति नहीं दी गई थी।करार की शर्त संख्या 2 से यह भी स्पष्ट है कि वादी को प्रतिवादियों को 10.11.2014 तक 20 लाख रुपये का भुगतान करना था, लेकिन उन्होंने प्रतिवादियों को इस राशि के भुगतान के संबंध में तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कोई रसीद या पावती दाखिल नहीं की।पीडब्लू-1 पदम जैन ने स्वीकार किया कि उन्होंने प्रतिवादियों को 10.11.2014 तक 20 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया।उन्होंने स्वेच्छा से बताया कि वे 7.11.2014 को प्रतिवादियों के घर 15 लाख रुपए देने गए थे, लेकिन प्रतिवादियों ने यह कहते हुए रुपए लेने से इनकार कर दिया कि उनकी बहन अभी मौजूद नहीं है और वे बाद में ले लेंगे, इसलिए चेक बाद में भेजा गया।उन्होंने स्वीकार किया कि उक्त तथ्य का उल्लेख कानूनी

नोटिस (प्रत्यक्ष पी/3), वादपत्र और शपथ-पत्र में नहीं है।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि चेक 27.11.2014 (एक्स.पी/3) का विधिक नोटिस भेजने के बाद जारी किया गया था।

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रवि सेतिया (सुप्रा) मामले में अपने निर्णय के पैरा 9 और 10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया :--

"9. तत्परता और इच्छा के संबंध में कोई सीधा सूत्र नहीं हो सकता है।इसकी व्याख्या प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में की जानी होगी।हमारा यह सुविचारित मत है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वादी द्वारा यह स्पष्टीकरण न देना कि शेष राशि दी गई समय सीमा के भीतर क्यों जमा नहीं की गई, निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद समय विस्तार के लिए आवेदन प्रस्तुत करना, और साथ ही विस्तार के लिए आवेदन में दिए गए आधारों की तुच्छता कि राशि बिना ब्याज अर्जित किए बैंक में पड़ी रहेगी, ये सभी वादी द्वारा करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता और तत्परता व इच्छा की कमी को दर्शाते हैं।उन्होंने प्रतीक्षा करना और प्रथम अपील में अनुकूल निर्णय की संभावना पर विचार करना पसंद किया। 10. अधिनियम की धारा 16(1)(ग) के अंतर्गत विशिष्ट निष्पादन हेतु अनुतोष प्रदान करना एक विवेकाधीन और न्यायसंगत अनुतोष है।धारा 16(1)(ग) के अंतर्गत, वादी को संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तत्परता और इच्छा प्रदर्शित करनी होगी।यह तर्क कि राशि बिना ब्याज के बैंक में रहेगी, निराधार है और सामान्य बैंकिंग प्रथा के विपरीत है।हमारे विचार से, यह वादी की ओर से अपने दायित्वों को पूरा करने में अक्षमता या तत्परता और इच्छा की कमी का पर्याप्त प्रमाण है।निस्संदेह, अधिनियम की धारा 28 के तहत जमा करने की अवधि बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जमा करने की अवधि बढ़ाने मात्र से वादी को ऐसी अवधि बढ़ाने के लिए तत्परता और इच्छा प्रदर्शित करने के दायित्व से मुक्ति नहीं मिल जाती, साथ ही ऐसी विशेष परिस्थितियाँ भी जो उसके नियंत्रण से बाहर हों।वादी ने आवेदन में यह दावा नहीं किया कि वह अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक था और उसे ऐसा करने से किसी विशेष परिस्थिति ने रोका था।प्रतिवादी द्वारा अपील के लंबित रहने से वादी को अपनी तत्परता और इच्छा के प्रमाण के रूप में राशि जमा करने से नहीं रोका गया। तत्परता की व्याख्या भुगतान के संबंध में दायित्वों के निर्वहन की क्षमता के रूप में की गई है।उच्च न्यायालय ने सही ही कहा है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील के लंबित रहने के दौरान जमा न करने को उचित ठहराने के लिए अपीलीय आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी।समय विस्तार दिए जाने को स्वतः ही वादी की तत्परता और इच्छा को प्रदर्शित करने वाला नहीं माना जा सकता है।वादी को जमा राशि के लिए समय बढ़ाने की मांग करने हेतु पर्याप्त, सारवान और ठोस आधार प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी क्योंकि अन्यथा यह मामले के तथ्यों में अन्य सभी परिस्थितियों के साथ-साथ उसके आचरण का भी प्रश्न बन जाता है। इसलिए हमें उच्च न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं दिखती, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि तथ्यों और परिस्थितियों में वादी अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. आर. कंडासामी (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के कंडिका 21 और 29 में निम्नलिखित टिप्पणी की:--

"21. विशिष्ट निष्पादन के लिए किसी मुकदमे में सफल होने के लिए वादी से अपेक्षित आवश्यक तर्क और प्रमाण, इस न्यायालय के हाल ही के निर्णय यू.एन. कृष्णमूर्ति बनाम ए.एम. कृष्णमूर्ति, (2023) 11 एससीसी 775 में संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं।सुसंगत अंश में लिखा है:(एस. सी. सी. पी. 783, कंडिका 24)

"24.किसी संविदा के अनुसार, धन का भुगतान करने के दायित्व को पूरा करने के लिए तत्परता और इच्छा को प्रमाणित करने के लिए, वादी को वादपत्र में विशिष्ट कथन करने होंगे और संविदा के अनुसार समय पर भुगतान करने के लिए धन की उपलब्धता दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। दूसरे शब्दों में, वादी को यह तर्क दिया है कि वादी के पास पर्याप्त धन है या वह संविदा के तहत अपने दायित्व को पूरा करने के लिए समय पर धन जुटाने की स्थिति में है।यदि वादी के पास किसी संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है, जिसके लिए धन का भुगतान अपेक्षित है, तो वादी को स्पष्ट रूप से यह तर्क दिया है कि धनराशि उसके लिए कैसे उपलब्ध होगी।उदाहरण के लिए, वादी, साक्ष्य प्रस्तुत करके, यह दावा और सिद्ध कर सकता है कि उसने किसी संविदा की शर्तों और नियमों का समय पर पालन करने हेतु पर्याप्त धनराशि के वितरण हेतु एक वित्तपोषक के साथ व्यवस्था की थी, जिसमें धन का भुगतान शामिल है।यदि यह घोषणात्मक अनुतोष देने के लिए कोई प्रार्थना न की गई हो कि संविदा की समाप्ति विधिवत गलत है, तो क्या विनिर्दिष्ट निष्पादन हेतु वाद स्वीकार्य है?

29. विक्रय संविदा के विशिष्ट निष्पादन हेतु वाद, सामान्यतः, संविदा करने वाले पक्षों के बीच एक लिखित करार पर आधारित होता है, जो दो या अधिक व्यक्तियों के विचारों के मिलन को दर्शाता है।लिखित दस्तावेज़ से यथोचित रूप से ज्ञात करार की शर्तें अत्यंत सुसंगत हैं।आखिरकार, अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन ही एक संपन्न संविदा का रूप ले लेता है और यदि कोई प्रतिकूल कारक न हो, तो पक्षकार इसके लिए बाध्य होते हैं।"

14. यूएन कृष्णमूर्ति (सुप्रा) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के कंडिका 43 और 44 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:--

"43. सारदामणि कंदप्पन (सुप्रा) में इस न्यायालय ने दोहराया था कि (1) विशिष्ट निष्पादन के वाद में विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय, न्यायालयों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब पक्षकार कुछ कदम उठाने या लेन-देन पूरा करने के लिए समय निर्धारित करते हैं, तो उसका कुछ महत्व अवश्य होता है और इसलिए निर्धारित समय/अवधि की अनदेखी नहीं की जा सकती है; **(ii)** न्यायालय इस बात पर विचार करते समय अधिक गहन जाँच और सख्ती बरतेंगे कि क्या क्रेता संविदा के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक था और **(iii)** विशिष्ट निष्पादन के प्रत्येक वाद को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह करार में निर्धारित समय-सीमा की अनदेखी करके समय-सीमा के भीतर दायर किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न्यायालय उन वाद पर भी नाराज़गी जताएँगी जो उल्लंघन/अस्वीकार के तुरंत बाद दायर नहीं किए जाते है। तीन वर्ष की यह समय-सीमा का मतलब यह नहीं है कि खरीदार वाद दायर करने और विशिष्ट निष्पादन प्राप्त करने के लिए एक या दो वर्ष तक इंतज़ार कर सकता है।तीन वर्ष की अवधि का उद्देश्य विशेष मामलों में क्रेता की सहायता करना है, उदाहरण के लिए जहां प्रतिफल का बड़ा हिस्सा विक्रेता को भुगतान कर दिया गया है और आंशिक निष्पादन में कब्जा दे दिया गया है, जहां इक्विटी क्रेता के पक्ष में स्थानांतरित हो जाती है।

44. आत्मा राम बनाम चरणजीत सिंह, (2020) 3 एससीसी 311 में इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन ने निम्नलिखित सुसंगत टिप्पणी की:---

"9..... 12.11.1996 को कानूनी नोटिस जारी करने के बाद (13.10.1999 को) वाद दायर करने में तीन वर्ष के लंबे विलंब के लिए याचिकाकर्ता की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। विशिष्ट पालन के वाद में वादी का आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।कोई व्यक्ति जो 12.11.1996 को विधिक नोटिस जारी कर दावा करता है किवह तत्परता और इच्छा रखता है, लेकिन जो केवल 13.10.1999 को वाद प्रविष्ट करता है और वह भी केवल उक्त अनुतोष से संबंधित एक निश्चित न्यायालय शुल्क सहित अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना के साथ, वह विशिष्ट पालन की विवेकाधीन राहत का हकदार नहीं होगा।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन करने के पश्चात् यह सही पाया है कि करार (प्रत्यावेदन पी/1) पर प्रतिवादी संख्या 4 और 5 द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और वे इस करार के लिए सहमति देने वाले पक्षकार नहीं थे।तदनुसार, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 3 पर यह निर्णय देना उचित था कि प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के संबंध में यह करार अमान्य है।

16. डीडब्ल्यू-1 खेमराज ने अपने बयान के कंडिका 12 में स्वीकार किया है कि करार के निष्पादन के समय, उन्हें बयाना राशि के रूप में 2 लाख रुपये नकद और 3 लाख रुपये का सेल्फ-चेक दिया गया था और बाद में उस चेक के बदले दो किश्तों में तीन लाख रुपये नकद दिए गए थे।कंडिका 13 में उन्होंने स्वीकार किया है कि बाद में उनकी जानकारी के बिना उनके खाते में 5 लाख रुपये जमा कर दिए गए और उन्होंने वादीगण को इसकी सूचना नहीं दी।वह स्वीकार करता है कि उन्होंने उक्त पाँच लाख रुपये का उपयोग कर लिया और आज तक वापस नहीं किए।नोटिस **प्र.पी**/14 के अंतिम से पहले वाले पैराग्राफ से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादियों ने वादी से कुल 10 लाख रुपये प्राप्त किए हैं और वे वादी को उक्त राशि वापस करने के लिए तैयार हैं।

17. विद्वान विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को अग्रिम राशि के रूप में 10 लाख रुपये मिले थे, लेकिन प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और वादी यह साबित करने में भी विफल रहे कि प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने वादी से कोई अग्रिम राशि प्राप्त की थी और इस तरह, यह करार उन पर बाध्यकारी नहीं है।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सतीश बत्रा बनाम के मामले में सुधीर रावल ने (2013) 1 एससीसी 345 में कंडिका 15 में निम्नलिखित रिपोर्ट दी:

"15. इसलिए, कानून स्पष्ट है कि 'बयाना राशि' के भाग के रूप में अग्रिम राशि की जब्ती को उचित ठहराने के लिए संविदा की शर्तें स्पष्ट और सुस्पष्ट होनी चाहिए।अर्जित धन उस समय भुगतान की जाती है या दी जाती है जब संविदा किया जाता है और जमाकर्ता द्वारा उसके उचित निष्पादन के लिए प्रतिज्ञा के रूप में, गैर-निष्पादन की स्थिति में जमाकर्ता द्वारा जब्त कर ली जाती है।इसके विपरीत स्थिति यह भी हो सकती है कि यदि विक्रेता संविदा का पालन करने में विफल रहता है, तो क्रेता को भी दोगुनी राशि मिल सकती है, यदि ऐसा निर्धारित किया गया।यह भी विधि है कि क्रय मूल्य का आंशिक भुगतान तब तक जब्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह संविदा के उचित निष्पादन की गारंटी न हो।दूसरे शब्दों में, यदि भुगतान केवल प्रतिफल के आंशिक भुगतान के लिए किया गया है और बयाना राशि के रूप में नहीं है, तो जब्ती खंड लागू नहीं होगा।"

19. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, जब विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संबंध में करार (प्रत्यावेदन पी/1) को वैध माना था, तो उसे विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार वादीगण के पक्ष में अनुबंध के विशिष्ट पालन के वाद पर आंशिक रूप से निर्णय देना चाहिए था। तथापि, यह स्पष्ट है कि वादीगण अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए अपनी तत्परता और इच्छाशक्ति साबित करने में विफल रहे हैं।उन्होंने निर्धारित अवधि के भीतर करार की शर्तों के अनुसार 20 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया।विद्वान विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि सभी प्रतिवादी वाद-पत्र की संपत्ति के संयुक्त स्वामी हैं, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध प्र.पी/1 का करार निष्पादन योग्य नहीं है और इस प्रकार, वादी के विरुद्ध और प्रतिवादियों के पक्ष में विवाद्यक का निर्णय दिया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध समग्र सामग्री के समुचित मूल्यांकन पर आधारित हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विजय प्रभु (सुप्रा) मामले में अपने निर्णय के कंडिका 15 में निम्नलिखित निर्णय दिया:

"15. उपरोक्त संदर्भ में, हम जसविंदर कौर (अब मृत) मामले में इस न्यायालय के एक फैसले का उनके कानूनी 19 के माध्यम से उल्लेख कर सकते हैं।हम जसविंदर कौर (अब दिवंगत) के माध्यम से उनके विधिक प्रतिनिधियों और अन्य बनाम गुरमीत सिंह और अन्य (2017) 12 एससीसी 810 में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने क्रमशः कंडिका 19, 20 और 21 में निम्नानुसार टिप्पणी की थी:

"19.अब्दुल हक बनाम मोहम्मद येहिया खान मामले में, जैसा कि एआईआर 1924 पैट 81 में रिपोर्ट किया गया है, न्यायालय ने कहा कि न्यायालय सामान्य नियम के रूप में किसी संविदा के विशिष्ट पालन हेतु बाध्य

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

नहीं करेगा जब तक कि वह संपूर्ण संविदा का निष्पादन न कर सके।यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ संपूर्ण संविदा अनुपालन करने में सक्षम नहीं है।धारा 12 किसी संविदा के किसी भाग के विशिष्ट अनुपालन हेतु दावे के संबंध में प्रावधानों को समाहित करती है।पुराने अधिनियम की धारा 14 और 17 को संशोधित करके समाहित कर दिया गया है और निरस्त अधिनियम की धारा 13 पर आधारित स्पष्टीकरण के साथ, अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत विधि को स्पष्टता से प्रस्तुत किया गया है।

20. अधिनियम की धारा 12(1) में प्रावधान है कि किसी संविदा के किसी भाग पर विशिष्ट निष्पादन केवल उस धारा में उल्लिखित परिस्थितियों में ही प्रदान किया जा सकता है।अधिनियम की धारा 12(2) संविदा भंग से संबंधित है यदि कोई पक्ष अपने हिस्से का पूरा निष्पादन करने में असमर्थ है और ऐसे हिस्से का मूल्य समग्र संविदा का एक छोटा हिस्सा है और उसे नकद में क्षतिपूर्ति दिया जा सकता है।उदाहरण के लिए, अधिनियम की धारा 12(2) में "निष्पादन करने में असमर्थ" शब्द का अर्थ होगा कि संविदा के बाद संपत्ति का कोई हिस्सा नष्ट हो गया है या दैवीय कृत्य या कोई ऐसा कार्य जिसके कारण उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है।ऐसी स्थिति में, संविदा का पक्षकार संविदा के पूर्ण या उसके किसी भाग का पालन करने में असमर्थ माना जाएगा।ऐसा व्यक्ति "व्यतिक्रमी पक्षकार" के अंतर्गत आएगा।पालन करने में असमर्थता विषय-वस्तु की मात्रा में कमी, कमियों, किसी कानूनी निषेध या ऐसे अन्य कारणों से उत्पन्न हो सकती है।वर्तमान मामले में ऐसा कोई भी कारण मौजूद नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. अधिनियम की धारा 12 उस स्थिति में लागू नहीं होती जहाँ संविदा के किसी भाग का विशिष्ट अनुपालन करने में असमर्थता वादी के स्वयं के आचरण के कारण उत्पन्न होती है, जैसा कि अब्दुल रहीम बनाम मैधर गाजी, एआईआर 1928 कैल 584 में रिपोर्ट किए गए मामले में अभिनिर्धारित किया गया है।ग्राहम बनाम कृष्ण चंदर डे, जैसा कि एआईआर 1925 पीसी 45 में रिपोर्ट किया गया है, में यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा में दिए गए स्पष्टीकरण में वे सभी परिस्थितियाँ शामिल हैं जिनमें आंशिक निष्पादन प्रदान किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 12(2) उस स्थिति से संबंधित है जहाँ कोई पक्षकार निष्पादन करने में असमर्थ है और ऐसा अंश मूल्य में केवल एक छोटा सा अंश है और धन के रूप में प्रतिपूर्ति योग्य है।यह अधिनियम की धारा 12(2) के अंतर्गत आने वाला मामला नहीं था।अधिनियम की धारा 12(3) के तहत चूककर्ता पक्ष संपूर्ण प्रतिफल के भुगतान पर या अनिष्पादित छोड़े गए भाग के लिए विशिष्ट निष्पादन का हकदार है, लेकिन इस मामले में चूककर्ता होने के कारण वादी को अधिनियम की धारा 12(3) को लागू करने का भी हकदार नहीं कहा जा सकता है।"

21. उपर्युक्त निर्णय और अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा वादी के आचरण के आलोक में, हम किसी संविदा के भाग के विशिष्ट निष्पादन हेतु डिक्री प्रदान करने के पक्ष में नहीं हैं। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे तथ्यों के आधार पर भिन्न होने के कारण अपीलकर्ताओं के लिए किसी भी प्रकार से सहायक नहीं हैं।हालाँकि, डीडब्ल्यू-1 खेमराज के

साक्ष्य और विधिक नोटिस (एक्स.पी/14) से परिलक्षित स्वीकृत स्थिति को देखते हुए कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादी से अग्रिम राशि के रूप में कुल 10 लाख रुपये प्राप्त किए, हमारा मानना है कि वादी ब्याज सहित इस राशि की वापसी के हकदार हैं।

22. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय के पारित होने की तिथि से उसके वास्तविक भुगतान तक, आज से छह महीने की अवधि के भीतर, 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वादी को 10 लाख रुपये लौटाएँ।आक्षेपित निर्णय और डिक्री को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

सही/-
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/-
(सचिन सिंह राजपूत)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur